

नियम 17 : कतिपय विशिष्ट सत्ताओं को विशिष्ट पहचान संख्या का समनुदेशन

- (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 25 की उप-धारा (9) के उपबंधों के अनुसरण में विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जाना अपेक्षित है **जीएसटी आरईजी-13 प्ररूप** में इलैक्ट्रानिक रूप में, सामान्य पोर्टल पर, या तो सीधे या बोर्ड आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से, नियम 8 में निर्दिष्ट रीति में, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
- ¹[(1क) धारा 25 की उपधारा (9) के खंड (क) के अधीन किसी व्यक्ति को उपनियम (1) के अधीन दिया गया विशिष्ट पहचान संख्यांक भारत के राज्यक्षेत्र में लागू होगा।]
- (2) उचित अधिकारी, **जीएसटी आरईजी-13 प्ररूप** में एक आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर या उक्त प्ररूप ²[या भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात्] भरे जाने के पश्चात् उक्त व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करेगा और आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर **जीएसटी आरईजी-06** में प्रमाणपत्र जारी करेगा।
-

¹ अधिसूचना क्रमांक 75/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा उपनियम (1क) अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 29.12.2017)।

² अधिसूचना क्रमांक 22/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2018 द्वारा अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।